न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
विविध (जाति प्रमाण पत्र) अपील वाद संख्या–95/2012
जमना देवी –बनाम– बिहार सरकार एवं अन्य

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित |
|---|---|---|
| 24/01/2020 | **आदेश**<br>प्रस्तुत वाद जिला कल्याण पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक 1612/जि0क0 दिनांक 07.07.2012 से प्राप्त संचिका जों जमना देवी, पति–स्व0 ओम प्रकाश सिंह, निवासी हाल ग्राम–पन्डकी विकास खण्ड जोया, तहसील–अमरोहा, जनपद, ज्योतिबा फूले नगर, उत्तर प्रदेश सम्प्रति प्रधान ग्राम पंचायत पन्डकी, विकास खण्ड जोया (जे0पी0 नगर) की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–2280/2012 श्रीमती जमना बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 23.04.2012 को पारित आदेश से संबंधित है, के आलोक में प्रारंभ की गयी। आवेदिका ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि आवेदिका ग्राम पन्डकी, विकास खण्ड जोया, तहसील–अमरोहा, जिला–ज्योतिबा फूले नगर, उत्तर प्रदेश के वेन्यान निवासी है। आवेदिका का मायका ग्राम–कन्थुडीह, पंचायत गणेश बनौल बलनी, अंचल–बेनीपुर, जिला–दरभंगा है। आवेदिका को अंचल अधिकारी, बेनीपुर से जाति प्रमाण पत्र सं0–1206 दिनांक 07.09.2010 को जारी किया गया, जिसके आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर द्वारा पत्र सं0–158/30.09.2010 को आवेदिका को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। उक्त आधार पर आवेदिका को तहसीलदार द्वारा दिनांक 01.10.2010 को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किया गया। आवेदिका वर्ष 2010 में ग्राम पन्डकी के प्रधान पद हेतु निर्वाचित हुई, जिससे क्षुब्ध होकर पराजित प्रत्याशी एवं उनके पति द्वारा निराधार शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आवेदिका के जाति प्रमाण पत्र दिनांक 23.12.2011 को निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश से विक्षुब्ध हो कर आवेदिका माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–2280/2012 श्रीमती जमना बनाम बिहार सरकार एवं अन्य दायर की गयी। उक्त याचिका मे दिनांक 23.04.2012 को पारित आदेश से जिलाधिकारी, दरभंगा द्वारा निर्गत पत्र 1832 दिनांक 23.12.2011 को खारिज कर दिया एवं निदेशित किया गया कि आवेदिका की सुनवाई एवं साक्ष्य का पूर्ण अवसर प्रदान करके जाति प्रमाण पत्र संबंधी आवेदन का निस्तारण गुण एवं दोष के आधार पर किये जाने हेतु निदेशित किया गया है। | |

अतः माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.04.2012 के अनुपालन में आवेदिका के जाति प्रमाण पत्र तत्काल बहाल करके, जिलाधिकारी, जे0पी0 नगर, उत्तर प्रदेश को अवगत कराने का अनुरोध करते हैं।

आवेदिका द्वारा दाखिल आवेदन पर वाद पंजीकृत करते हुए आवेदिका को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया। सूचना का तामिलोपरान्त आवेदिका ने विधिवत् वाद आवेदन दाखिल किया गया एवं अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर ने अपने पत्रांक 1376 दिनाक 20.08.2019 से प्रतिवेदन समर्पित किया गया, का अवलोकन किया।

अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि जमना के नाम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र संख्या--1206 दिनांक 07.09.2010 को अंचल अधिकारी, बेनीपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अनुमंडल कार्यालय से निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं0--158 दिनांक 30.09.2010 को रद्द कर जिलाधिकारी, दरभंगा को प्रतिवेदित किया गया था।

अंचल अधिकारी, बेनीपुर द्वारा जमना के नाम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं0--C/17/01522 दिनांक 22.09.2017 के संबंध में अपने कार्यालय पत्रांक 993 दिनांक 17.08.2019 से अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर को प्रतिवेदन समर्पित किया, जिसमें उल्लेख किया है कि ग्राम गणेश बनौल, टोले कन्थूडीह, अंचल--बेनीपुर, जिला--दरभंगा में भोला मल्लिक का जमना नाम से कोई पुत्री नहीं है। अर्थात अंचल कार्यालय, बेनीपुर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र संख्या--1522 दिनांक 22.09.2017 गलत साक्ष्य के आधार पर आवेदन देकर बनवाया गया है। अंचल कार्यालय, बेनीपुर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं0--1522 दिनांक 22.09.2017 को अंचल कार्यालय के पत्रांक 1105 दिनांक 25.09.2017 द्वारा रद्द किया जा चुका है।

अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं आवेदिका द्वारा रखे गये कथन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदिका श्रीमती जमना ने गलत ढ़ंग से अंचल कार्यालय, बेनीपुर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं0--1206 दिनांक 07.09.2010 जालसाजी के तहत गलत साक्ष्यों के आधार पर आवेदन देकर बनाया गया है, कि जाति प्रमाण पत्र सं0--1206 दिनांक 07.09.2019 को रद्द किया गया। श्रीमती जमना पुत्री स्व0 भोला मल्लिक का गलत प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था।

आवेदिका ने अपने वाद आवेदन में ऐसा कोई भी तथ्य नहीं रखा है, जिससे कि यह प्रमाणित होता हो कि श्रीमती जमना पुत्री भोला मल्लिक, साकिन--कन्थूडीह, पंचायत--गणेश बनौल बलनी,

प्रखंड–बेनीपुर की निवासी हो एवं ये जाति के डोम (अनुसूचित जाति) के सदस्य हो। स्थानीय जाँच से यह स्पष्ट पाया गया कि ग्राम–गणेश बनौल, टोले–कन्थूडीह, अंचल–बेनीपुर, जिला–दरभंगा में भोला मल्लिक का जमना नाम की कोई पुत्री नहीं है। आवेदिका ने अपने द्वारा दाखिल कागजात में ऐसा कोई भी प्रमाण दाखिल नहीं किया गया जिस से कि उनके कथन की पुष्टि हो।

अतएव पूर्व में जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक 1832 दिनांक 23.12.2011 से श्रीमती जमना के जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने संबंधी आदेश पर आवेदिका के विद्वान् अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख पर संधारित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि आवेदिका जालसाजी के तहत गलत साक्ष्यों के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनाने का प्रयास करते रहे, जिसके आधार पर उन्होंने पुनः जाति प्रमाण पत्र सं0–1522 दिनांक 22.09.2017 को निर्गत कराने में सफल हुई, जिसे अंचल कार्यालय, बेनीपुर के पत्रांक 1105 दिनांक 25.09.2017 से रद्द किया जा चुका है।

अतः आवेदिका के आवेदन को खारिज किया जाता है। उक्त आदेश की प्रति संबंधित को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–2280/2012 श्रीमती जमना बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश के आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।